

अनुमति की शर्तें ।

- (i) लकल भवन / भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवधिक निगम को सूचित करेंगे ।
- (iv) स्वीकृत नगरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

केवल
एकल खिड़की 'व्यवसायिक' टाउप डिजाइन अनुसार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

अर्जद्वारा क्रमांक 838 दिनांक 04/01/2024

प्राप्ति दिनेश केवलानी डा. श्री इशिता केवलानी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

द्वारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6646/- जमा

जरिये रसीद संख्या 7069/324 2242


दिनांक 04/01/2024 को जमा करा दी है ।

P.No = 03 वीएस-14 (इमान) कॉपीकरण
इंजिनियर की

व्यवसायिक
डिजाइन
अनुसार

04/01/2024

सहायक नगर निरीक्षक
नगर निगम, जोधपुर


मे.ए. मे.
7028205220